न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मुकदमा नम्बर:– 430/2025
निर्णय दिनांक:– 01.12.2025
पीठासीन अधिकारी:–राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

1. डालचन्द शर्मा पुत्र स्व0 श्री कैलाश चन्द शर्मा जाति ब्राहरुम्ण निवासी ग्राम चौरू तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।

प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।

अप्रार्थी

उपस्थित विद्वान अधिवक्ता:– श्री गोपाल लाल चौधरी व गोपेश पारीक अधिवक्ता वादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट बाबत दुरस्ती इन्द्राज

निर्णय दिनांक:–01.12.2025

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी खाता सं. 203 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 4368/2959 कुल किता 10 कुल रकबा 5.7157 हैक्टेयर भूमि में वादी का हिस्सा 1/105 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। भूमि वाके ग्राम चौरू दक्षिण पटवार हल्का चौरू दक्षिण तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है। जिस पर वादी काबिज काश्त होकर लगान सरकारी जमा करवाता चला आ रहा है। विवादगस्त आराजी वादी को जरिये विरासत प्राप्त हुई है। वरवक्त वादी का विरासत का नामान्तकरण भरते समय घरेलू बोलता नाम दीपक पुत्र कैलाश के नाम से गलत भर दिया गया था, क्योकि वादी को गांव के व परिवार के लोगों ने घर पर प्यार से बोले जाने नाम वादी को दीपक पुत्र कैलाश के नाम से ही विरासत का नामान्तकरण पटवार हल्का से भरवाकर तस्दीक करवा दिया गया, जिसके अनुसार ही राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दीपक पुत्र कैलाश ही चला आ रहा है। लेकिन वादी व उसके दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, पेन कार्ड, कक्षा 10वीं की अंक तालिका, व ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र, आदि में वादी का नाम डालचन्द शर्मा पुत्र कैलाश शर्मा दर्ज है, एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना चाहिये था परन्तु वादी को सामान्य बोलचाल व घर में प्यार से दीपक पुत्र कैलाश दर्ज कर दिया है. इसलियें न्यायहित में वादी का नाम दीपक पुत्र कैलाश के स्थान पर डालचन्द शर्मा पुत्र कैलाश शर्मा राजस्व रिकार्ड में दुरस्त किया जाना आवश्यक है। वादी को दीपक व डालचन्द शर्मा, दोनों नामों से ही जाना जाता है, जबकि दोनों नामों का मैं वादी एक ही व्यक्ति है; इस नाम के अलावा इस ग्राम चौरू में इन नामों का अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। इसलिये वादी का नाम दीपक पुत्र कैलाश के स्थान पर डालचन्द शर्मा पुत्र कैलाश

उपखण्ड अधिकारी
फागी

शर्मा दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अभी हाल ही में दिनांक 05.10.2025 को वादी ने अपनी खातेदारी भूमि की राजस्व रिकार्ड की नकले प्राप्त करने पर अपने नाम की जानकारी हुई पटवारी हल्का को कहां कि कि मुझ वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में डालचन्द शर्मा पुत्र कैलाश शर्मा के स्थान पर दीपक पुत्र कैलाश गलत दर्ज है, जिसे सहीं किया जावें जिस पर पटवारी हल्का ने दीपक पुत्र कैलाश के स्थान पर डालचन्द शर्मा पुत्र कैलाश शर्मा सही नाम करने से इंकार कर दिया और सक्षम न्यायालय में आदेश करवाने बाबत् कहा गया इसलिये मान्य न्यायालय में वादी द्वारा उक्त वाद दुरस्ती इन्द्राज पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी का वाद कारण दिनांक 05.10.2025. को पटवारी हल्का द्वारा सक्षम न्यायालय में दावा पेश करने से उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी है। वादी का वाद अंदर मियाद प्रस्तुत है। वादी का वाद बाबत् दुरूस्ती इन्द्राज 2/ रू० कोर्ट फीस स्टाम्प पर प्रस्तुत है। जो रा०टी०एक्ट के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त है। पक्षकारान की विवादित आराजीयात् मान्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से श्रीमान् न्यायालय को इस बाद की सुनवाई का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी सं0 1 तहसीलदार फागी उपस्थित हुए तथा पटवार हल्का ने रिपोर्ट में बताया कि ग्राम चौरू दक्षिण में खाता सं. 203 में दीपक पुत्र कैलाश जाति ब्राहम्ण के नाम हिस्सा 1/105 राजस्व रिकार्ड दर्ज है। वाद सं0 430/2025 के क्रम में ग्रामवासियों से पूछताछ की गई तथा पूछताछ में पाया गया कि वादी का सही नाम डालचन्द शर्मा पुत्र कैलाश शर्मा जाति ब्राहम्ण होना पाया गया। वादी के दस्तावेजों के अनुसार भी वादी का सही नाम डालचन्द शर्मा पुत्र कैलाश शर्मा होना पाया गया है। ग्रामवासियों से पूछताछ में पाया गया है कि ग्राम चौरू में उक्त नाम का कोई व्यक्ति नहीं है।

साक्ष्य हेतु प्रार्थी ने सहखातेदार हेमचन्द पुत्र कैलाश शर्मा जाति ब्राहम्ण का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया। साक्ष्य में बताया कि आराजी ख0नं0 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 4368/2959 कुल किता रकबा 5.7157 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम चौरू दक्षिण में स्थित भूमि में सहखातेदार हूँ। तथा मै डालचन्द पुत्र कैलाश चन्द शर्मा को जानता हूं जो उक्त भूमि में हमारा सहखातेदार है। तथा मेरा सगा भाई है। डालचन्द पुत्र कैलाश चन्द शर्मा का उक्त भूमि में विरासत नामान्तकरण खोलते समय दीपक शर्मा पुत्र कैलाश शर्मा दर्ज कर दिा जबकि सही नाम डालचन्द शर्मा पुत्र कैलाश शर्मा है।

कार्यालय ग्राम पंचायत चौरू ने भी प्रमाणित किया कि डालचन्द शर्मा पुत्र स्व. श्री कैलाश चन्द शर्मा जो कि ग्राम चौरू तहसील फागी जिला जयपुर के मूल निवासी है। इन्हें आम बोल चाल की भाषा में दीपक के नाम से भी जाना पहचाना जाता हैं। इस प्रकार डालचन्द शर्मा व दीपक एक ही व्यक्ति हैं। इस नाम का अन्य कोई व्यक्ति ग्राम चौरू में नहीं है।

बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
फागी

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रकरण इन्द्राज दुरूस्ती का पेश किया गया है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 वाके ग्राम चौरू दक्षिण मे स्थित खाता सं0 203 उक्त विवादग्रस्त आराजी मे दीपक पुत्र कैलाश हिस्सा 1/105 जाति ब्राहम्ण सा. देह खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। पत्रावली मे संलग्न अन्य दस्तावेजात यथा पेन कार्ड, आधार कार्ड, 12 वीं की अंकतालिका मे भी प्रार्थी का नाम डालचन्द शर्मा पुत्र कैलाश चन्द शर्मा अंकित है। उपर्युक्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खतौनी सं. 203 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2970, 4368/2959 कुल किता 10 कुल रकबा 5.7157 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम चौरू दक्षिण तहसील फागी जिला जयपुर के वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे अंकन प्रार्थी का नाम दीपक पुत्र कैलाश के स्थान पर डालचन्द शमा पुत्र कैलाश शर्मा जाति ब्राहम्ण राजस्व रिकॉर्ड मे दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 01.12.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

1/12/25

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला जयपुर

सत्यमेव जयते